eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : शिक्षक– शिक्षा के संदर्भ में

[1]डॉ० राजेश सिंह
[1]सहायक प्रवक्ता, लाला महादेव प्रसाद वर्मा बालिका महाविद्यालय, गोसाईगंज लखनऊ।

Received: 20 Jan 2023, Accepted: 28 Jan 2023, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2023

Abstract

21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो शिक्षक को वर्तमान चुनौतियों समस्याओं और समाधान से अवगत कराती है। नई शिक्षा नीति शिक्षक की भूमिका को राष्ट्र के निर्माण के लिए सशक्त बनाने की बात करती है यह नीति कुल 27 बिंदुओं पर तैयार की गई है जिसमें से बिंदु संख्या 15 में शिक्षक–शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं। इस शिक्षा नीति के परिणाम इससे जुड़े स्टॉकहोल्डर्स की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। अतः शिक्षकों की इच्छाशक्ति और शिक्षा प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत योजना की आवश्यकता होगी। इस लेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शिक्षक–शिक्षा के संदर्भ में प्रावधानों की चर्चा की गई है।

मूल शब्द – 21वीं सदी की आवश्यकताएं, नई शिक्षा नीति 2020, शिक्षक, शिक्षक एवं शिक्षा।

Introduction

छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की सक्षम टीम का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष बल दिया गया है। बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों को तैयार करने व शिक्षक शिक्षा हेतु प्रशिक्षक तैयार करने के विशेष प्रावधान हैं। जिसमें उन्हें बहु–विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ–साथ अभ्यास भी कराया जाएगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ–साथ भारतीय मूल्य. भाषा, विज्ञान, लोकाचार, परंपराओं, जनजातिपरंपराओं आदि के प्रति भी जागरूक हों वे संस्थान जो अध्यापक शिक्षा प्रदान करेंगे वह शिक्षण से संबंधित विषयों के साथ–साथ विशेष विषय में विशेषज्ञता की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। शिक्षक–शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं संपूर्ण गतिविधियों का निर्धारण राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् करती है। इस परिषद् की स्थापना भारतीय सरकार द्वारा 1973 में की गई। परिषद् का मुख्य उद्देश्य शिक्षक–शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना था। इस परिषद् का कार्य शिक्षक शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सरकार को सलाह देना था। 1993 में इस परिषद को संवैधानिकदर्जा प्रदान किया गया। यह परिषद् शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन करती है तत्पश्चात् उन समस्त समस्याओं के समाधान हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करती है।

शिक्षा मंत्रालय ने 10 जून 2021 को अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019–20 जारी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने एआईएसएचई रिपोर्ट 2019–20 को जारी करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। बी.एड. नामांकन में 80: पीएच. डी में 60: और विश्वविद्यालयों की संख्या में 30.5: की वृद्धि हुई है। शिक्षकों की कुल संख्या 15,03,156 है जिनमें से लगभग 57.5: पुरुष शिक्षक हैं और 42.5: महिला शिक्षक हैं अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 100 पुरूष शिक्षकों पर महज 74 महिला शिक्षक हैं।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

नई शिक्षा नीति की आवश्यकता – किसी भी राष्ट्र के निर्माण में वहां की शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि राष्ट्र के बच्चों का भविष्य शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर करता है। शिक्षासे संबंधित अनेक नीतियां समय–समय पर बनाई गई जैसे – 1948 में प्रथम विश्वविद्यालय आयोग 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1964 में कोठारी आयोग जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग रही जिसमें भारत के शिक्षा के प्रति समस्त प्रतिबद्धताओं को व्यक्त किया गयातत्पश्चात् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति व समीक्षा हेतु 1992 में राममूर्ति समिति का गठन किया गया। 1986 की नीति वर्तमान की समस्याओं, आवश्यकताओं व चुनौतियों की स्पष्ट व्याख्या व समाधान हेतु पर्याप्त नहीं थी। अतः वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता महसूस हुई इस हेतु प्रयास 2015 से निरंतर जारी है अब देखना यह है कि यह नीति कितनी प्रभावी होगी जो शिक्षा से जुड़े सभी स्टॉकहोल्डर्स की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।

नई शिक्षा नीति व शिक्षक– शिक्षण की प्रक्रिया को कई कारक प्रभावित करते हैं इनमें शिक्षक की भूमिका स्पष्ट रूप से और सबसे ज्यादा प्रभावित करती है अतः नई शिक्षा नीति2020 शिक्षक की भूमिका को प्रभावशाली विशिष्ट व 21वीं सदी की समस्त चुनौतियों का समाधान कर सकने के योग्य निर्मित करने की बात कहती है। इस नीति में शिक्षक के हर एक योग्यता का निर्धारण काफी सोच–समझकर किया गया है। प्राचीन भारत में शिक्षकों की प्रतिष्ठासर्वोपरी होती थी राजा हो या कोई आम प्रजा हर कोई गुरु के समक्ष नतमस्तक होते थे समाज में गुरु को सम्मान प्राप्त था उनकी कहीं एक बात भी टाली नहीं जाती थी। लेकिन बदलते समय के साथ गुरु का नाम शिक्षक टीचर ट्यूटर तथा एजुकेटर के रूप में परिवर्तित होता चला गया वर्तमान में शिक्षक एक एजुकेटरबनकररह गया है इन नामों के साथ–साथ प्रतिष्ठा का भी ह्रास होता चला गया पूर्व में सबसे ज्ञानीव्यक्तिगुरुहोता था लेकिन आज उत्कृष्ट बालक इस कार्य में संलग्न होना नहीं चाहतायह अत्यंत सोचनीय विषय है। वर्तमान में यह पेशा बन कर रह गया है जो सिर्फजीवनयापन के साधन जुटाने के लिए किया जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 इस ओर विशेष दृष्टि रखती है और कहती है। कि अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापना, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षकों के सम्मान तथा उत्कृष्ट बालकों को शिक्षा के कार्य में जोड़ने हेतुनई शिक्षा नीति 2020 विशेष प्रावधान करती है आशा है कि नई शिक्षा नीति 2020 की मनसा समस्त शिक्षा जगत व राष्ट्र को उत्तम फल देगी।

नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक व शिक्षक शिक्षा से संबंधित प्रमुख आकर्षण केंद्र–

- नई शिक्षा नीति2020 में शिक्षक बनने की दिशा में मेधावी छात्रों को आकर्षित करने हेतु 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम में अध्ययन के लिए मेरिट आधारित छात्रवृत्ति स्थापित करने की बात कही गई है ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां शिक्षकों की सबसे ज्यादा कमी है।
- ग्रामीणइलाकों में शिक्षकों हेतु आवास की व्यवस्था स्कूल परिसर या आस–पास आवास रखने हेतु आवास भत्ते का प्रावधान किया जाएगा।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

- शिक्षक विद्यार्थियों के रोलमॉडल बन सकें, शिक्षकों का समुदाय के साथ जुड़ाव हो इसके लिए शिक्षकों का एक स्थान पर रहना आवश्यक है अतः नई शिक्षा नीति विशेष परिस्थिति में ही पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित स्थानांतरण का प्रावधान करती है।

- शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक पात्रता परीक्षा को शिक्षा के सभी स्तरों (बुनियादी प्रारंभिक, मिडिल व माध्यमिक के शिक्षकों के लिए अनिवार्य करने की बात करती है साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा को विस्तृत किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में संबंधित विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा के अंकों को शामिल किया जाएगा। शिक्षण में रुचि व जोश कोजांचने हेतु साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन शामिल किया जाएगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स में कला, शारीरिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और भाषाओं जैसे विषयों में शिक्षकों की साझेदारी की जाएगी जो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपनाई गई ग्रुपिंग ऑफ स्कूल प्रारूप के अनुसार किया जाएगा।

स्कूल कॉम्प्लेक्स में पारंपरिक, स्थानीय कला, व्यवसायिक उद्यमिता, कृषि व अन्य स्थानीय विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों या विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भावी दो दशकों में अपेक्षित विषयवार शिक्षकों की रिक्तियों का आकलन करने के लिए एक तकनीक आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता योजना और भावी आवश्यकताओं के अनुमान का कार्य प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना होगा ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें, समुदाय का हिस्साबनाते हुए छात्रों व अभिभावकों से जोड़ने की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठितन्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा आयोग 2012 के अनुसार स्टैंडअलोनटीईआई की संख्या 10,000 से अधिक है जो अध्यापक शिक्षा के प्रति लेश मात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं। बल्कि इसके स्थान पर ऊंचे दामों पर डिग्रियांबेच रहे हैं। इस दिशा में अब तक किए गए व्यय नियामक प्रयास ना तो सिस्टम में बड़े पैमाने पर व्याप्तभ्रष्टाचार को रोक पाए हैं और ना ही गुणवत्ता के लिए निर्धारित बुनियादी मांगों को ही लागू कर पाए हैं बल्कि इन प्रयासों का इस क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है । अतः इस सेक्टर और इसकी नियामक प्रणालियों में महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के द्वारा पुनरुद्धार कीतात्कालिक आवश्यकता है जिससे की गुणवत्ता के उच्च मानकों को निर्धारित किया जा सके और शिक्षक शिक्षा प्रणाली में अखंडताविश्वसनीयता प्रभावशीलता और उच्च गुणवत्ता को बहाल किया जा सके।

- शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आवश्यक नैतिकता और विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार को सुनिश्चित करने और फिर इसके द्वारा एक सफल विद्यालय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्रणाली को उन निम्न स्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ उल्लंघन के लिए 1 वर्ष का समय दिए जाने के पश्चात् कठोर कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो बुनियादी शैक्षिक मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बहुविषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही क्रियान्वित होंगे।

- चूंकि अध्यापक शिक्षा के लिए बहु–विषयक इनपुट के साथ ही साथ उच्चतर गुणवत्ता युक्त विषयवस्तु और शैक्षणिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है अतः इसे ध्यान में रखते हुए सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु– विषय संस्थानों में ही आयोजित किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी बड़े

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

बहु–विषयक विश्वविद्यालयों के साथ–साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और बड़े बहु–विषयक महाविद्यालयों का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहां ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग की स्थापना और विकास करें जो कि शिक्षा में अत्याधुनिक संसाधनों को अंजाम देने के साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक दर्शन–शास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान भारतीय भाषाओं कला, संगीत, इतिहास और साहित्य के साथ–साथ विज्ञान और गणित जैसे अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित विभागों के सहयोग से भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए बी.एड. कार्यक्रम भी संचालित करेंगे इसके साथ ही साथ वर्ष 2030 तक सभी शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को विशेष संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी क्योंकि उन्हें भी 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा।

वर्ष 2030 तक बहु–विषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह 4 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम ही स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्रीयोग्यता बन जाएगा। जब 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा और उनके साथ ही एक अन्य विशेष विषय जैसे भाषा, इतिहास, संगीत, कम्प्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि में से एक समग्र डुअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। किसी विशेष विषय में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए 1 वर्षीय कार्यक्रम ऑफर किया जाएगा साथ ही 2 वर्षीय कार्यक्रम भी संचालित रहेगा।

अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्च शिक्षण संस्थान शिक्षा और इससे संबंधित विषयों के साथ ही साथ विशेष विषयों में विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के पाससघनजुड़ाव के साथ काम करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्कूलों और स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा। जहां भावी शिक्षक अन्य सहायक गतिविधियों जैसे– सामुदायिक सेवा वयस्क और व्यवसायिक शिक्षा आदि में सहभागिता के साथ शिक्षण का कार्य करेंगे। शिक्षक शिक्षा के लिए एक समान मानकों को बनाए रखने के लिए सेवा पूर्व शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षणों के माध्यम से होगा और देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जाएगा। महत्व प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्ष्य होगा लेकिन शिक्षण फील्ड शोध के अनुभव को सभी नएपीएच.डी प्रवेशकर्ताओं, चाहे वे किसी भी विषय पर प्रवेशलें से अपेक्षित होगा कि वे अपने पीएच.डी प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनके द्वारा चुने गए पीएच. डी विषय से संबंधित शिक्षा लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम लें उनकी डॉक्टरेट प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें शैक्षणिक प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण, विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली और संचार जैसे क्षेत्रों का अनुभव प्रदान किया जाएगा, क्योंकि संभव है कि उनमें से कई शोध विद्वान अपने चुने हुए विषयों के संकाय सदस्य या सार्वजनिक प्रतिनिधि या संचालकबनेंगेपीएच.डी छात्रों के लिए शिक्षण सहायक और अन्य संसाधनों के माध्यम से आयोजित किए गए वास्तविक शिक्षण अनुभव के न्यूनतम घंटे भी तय होंगे देशभर के विश्वविद्यालयों में संचालित पीएच.डी कार्यक्रमों का इस उद्देश्य के लिए पुनरुन्मुखीकरण किया जाएगा।

शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयं दीक्षा जैसे प्लेटफार्म के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम समय के भीतर अधिक शिक्षकों को मुहैया कराया जा सके । सलाहमेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को स्थापित किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ सेवानिवृत्त उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को जोड़ा जाएगा इनमें वे संकाय सदस्य भी शामिल होंगे

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

जिनमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता है और जो विश्वविद्यालय, कॉलेज शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिकपरामर्श व्यवसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होंगे।

सतत् व्यावसायिक विकास – सीखना निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। सीखने से जुड़ी यह बुनियादी अवधारणा जितनी बच्चों के संदर्भ में सत्य है, उतना ही यह अवधारणा शिक्षकों के संदर्भ में भी सटीक है। शिक्षकों की व्यावसायिक वृत्ति के विकास के लिए विभिन्न माध्यमों के प्रयोग की चर्चानीति में की गई है और उससे जड़ी समस्त सुविधाएँ जुटाने की बात की गई है। ऑनलाइन माध्यम और विभिन्न प्रकार के प्लेटफार्म (ऑनलाइन या वेब) को मुहैया कराने, स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घटों के सतत् व्यावसायिक विकास के कार्यक्रमों में शामिल होने और नवाचार से परिचित होने के अवसर प्रदान करती है, उदाहरण के लिए, बुनियादी साक्षरता, संख्या बोध, आकलन, अनभुवात्मक शिक्षण, कला समेकित सीखना, कहानी को एक उपकरण के रूप में प्रयोग में लाना आदि । इतना ही नहीं स्कूल के प्रधानाचार्या भी लीडरशिप या मैनजमेंट की कार्यशालाएँ आदि में लगभग 50 घटों के लिए शामिल होंगे। सतत व्यावसायिक विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि इसमें शिक्षक और प्रधानाचार्य के क्षमता संवर्धन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि वे अपनी–अपनी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान जुटा सकें।

विशिष्ट शिक्षक – प्रत्येक बच्चे की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएँ और विशिष्टताएँ होती हैं। शिक्षा का स्वरूप प्रत्येक शिक्षक से यह माँगकरता है कि वे सभी बच्चों की इन विशिष्ट आवश्यकताओं और विशिष्टताओं को ठीक से समझलें और उन्हें सीखने के पर्याप्त अवसर मुहैया कराएँ । कक्षा के दिव्यांग बच्चों को सीखने में जिस तरह की दिक्कतें आती हैं, उनका समाधान करने के लिए पूर्ण कालिक या अंशकालिक विशेष शिक्षकों को विद्यालय में स्थान दिया जाएगा। हालाँकि, एक प्रभावी शिक्षक एक कुशल भी होता है, अगर वे चाहें तो इस विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं।

निष्कर्ष– राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में एक विस्तृत आयाम रखती है जिसका क्रियान्वयन आसान नहीं होगा। मेधावी छात्रों को शिक्षक बनने की ओर प्रेरित करने हेतु प्रावधानों का विस्तृत प्रचार–प्रसार करना होगा। शिक्षक शिक्षा से जुड़े हुए सभी स्टॉकहोल्डर्स को शिक्षा के विभिन्न आयामों को विस्तार पूर्वक जानना होगा व एनसीटीई द्वारा एनसीएफटीई 2021 का निर्माण जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि एनसीएफटीई 2009 नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों पर पूर्णतयासटीक नहीं बैठती है। एनसीएफटी 2021 का निर्माण और क्रियान्वयन ही शिक्षक शिक्षा के स्तर का निर्धारण करेगी। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम समय पर व एक गुणवत्ता युक्त सामग्री के साथ तो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन कितना प्रभावी होगा यह सोचनीय होगा इसे जानने हेतु विस्तृत सर्वे की आवश्यकता भविष्य में अनुभव की जाएगी।

संदर्भ–

1, मानव संसाधनविकास मंत्रालय 2019. राष्ट्रीय शिक्षानीति मसौदा 2019 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.
2, शिक्षामंत्रालय 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार.
3, सिन्हा, पी. (2020 जुलाई) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक भारतीय आधुनिक शिक्षा 120–128.